न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 82/2017 **दायरा दिनांक : 07.07.2017**

उनवान

मोहनलाल पुत्र उदयलाल, जाति मेहर, निवासी चण्डालिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— सुमेन्द्रा बाई पुत्री देवा, जाति मेहर, निवासी चण्डालिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— बिरधीबाई पुत्री देवा, जाति मेहर, निवासी चण्डालिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— बलराम पुत्र किशोर, जाति गुर्जर, निवासी चण्डालिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4— रामबिलास पुत्र चतरभुज, जाति मीणा, निवासी चण्डालिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1018/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम चण्डालिया, तहसील खानपुर में खसरा नम्बर 195/315 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 209/316 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 257/317 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 3 किता की 6 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित है जिसके खातेदार वादीगण है । आराजी वादीगण के पिता के खाते में दर्ज थी, जिसकी मृत्यु 7 – 8 वर्ष पूर्व हो चुकी हे । वादीगण ने लगभग 7 वर्ष पूर्व प्रतिवादी क्रम 1 को आराजी मुनाफा काश्त पर दी गई थी । प्रतिवादी नम्बर 1 ने 3 वर्ष तक मुनाफे की राशि अदा की और मुनाफा देना बन्द कर दिया और आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया हे । प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने नाजायज कब्जे का फायदा उठाकर इस वर्ष आराजी प्रतिवादी क्रम 2 और 3 को संभला दी है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं हे । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलाया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.05.2017 को न्याय आपके द्वार के तहत दावा वादिनी स्वीकार कर बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट का जवाब बन्द करते हुए अंतिम निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेंटगण के पिता के कोई पुत्र नही होने के कारण अपने सगे भाई के दोनों पुत्रों के पक्ष में वसीयत दिनांक 07.01.1993 को निष्पादित की थी । वसीयत के आधार पर अपीलांट अपने पक्ष में इंतकाल नहीं खुलवा सका। अपीलांट वाद में काउंटर क्लेम पेश करना चाह रहा था परन्तु अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना उनके जवाब के दावे का निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया गया है । कैम्प में अपीलांट उपस्थित नहीं था । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं हुआ था । अपीलांट वसीयत के आधार पर काउंटर क्लेम पेश करना चाहता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने के कारण के उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी । अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

में जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी की खातेदार है । वसीयत की फोटो प्रति पेश की है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । वसीयतनामे के आधार पर अपीलांट कोई सहायत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको दिनांक 19.05.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण उपस्थित रहे हें परन्तु प्रतिवादीगण लोक अदालत में उपस्थित नहीं थे और लोक अदालत में उसी दिन दावा वादिनी स्वीकार किया गया है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करते हैं । विधिक राजीनामे के अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । यदि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है, तो इन विधिक प्रावधानों की पालना आवश्यक होती है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा